विभागीय वेबसाइट पर डालना है

संख्या : 535 /पांच–9–2015–9 (127)/12टी0सी0

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक
   चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी
   उत्तर प्रदेश।
5. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
   जिला, संयुक्त/महिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–9 दिनांक 6 सितम्बर 2017

विषयः प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना – कंडीशनल मैटरनिटी बैनिफिट कार्यक्रम के कियान्वयन के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि भारत सरकार द्वारा देश के समस्त राज्यों के समस्त जनपदों हेतु कंडीशनल मैटरनिटी बैनिफिट कार्यक्रम (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) का दिनांक 01.01.2017 से कियान्वयन का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में दिनॉक 01 जनवरी 2017 से किसी भी परिवार में पहली बार हो रही गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को वित्तीय लाभ दिया जायेगा। यह योजना गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य, व्यवहार एवं पोषण संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश में उक्त योजना को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्वाधान में राज्य परिवार नियोजन सेवा अभिनवीकरण परियोजना एजेंसी (सिफ्सा) द्वारा कियान्वित किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश में अधिकांश महिलाओं में अल्प पोषण उनके जीवनकाल को प्रभावित करता हैं। यह स्थिति गर्भावस्था एवं नवजात शिशु को दूध पिलाने की अवधि में अत्याधिक प्रभावित करती है। उत्तर प्रदेश में हर तीसरी महिला अल्प पोषित है। हर अल्पपोषित महिला गर्भावस्था के उपरान्त कम वजन के शिशु को जन्म देती है। नवजात शिशु में पोषण की कमी माता के गर्भधारण से ही प्रारम्भ होती है। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिलायें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए गर्भावस्था के अंतिम दिनों तक कार्य करतीं रहतीं है। कई महिलायें प्रसव के उपरान्त जल्दी ही कार्य करना प्रारम्भ कर देती है। गर्भावस्था के दौरान एवं प्रसव उपरान्त महिला का शरीर कमजोर होने के बावजूद काम करने से अल्पपोषित होता है और नवजात शिशु को अगले छः माह तक नियमित रूप से मॉ का दूध नही मिल पाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अतंर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में मातृत्व लाभ कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है।

इस योजना में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित निर्धारित शर्तो को पूरा करने पर परिवार के पहले जीवित शिशु के जन्म के लिए गर्भवती महिला एवं धात्री माता के बैंक/डाकघर खाते में जो आधार संख्या से लिंक होगा, डाईरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत

निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत धनराशि प्रदान किया जायेगा:–

किश्तों का हस्तांतरण	शर्तें	धनराशि (रू0 में)
प्रथम किश्त	गर्भावस्था का पंजीकरण।	1000/–
द्वितीय किश्त	कम से कम एक प्रसवपूर्व जॉच (गर्भावस्था के छः माह बाद)	2000/–
तृतीय किश्त	प्रसव उपरान्त नवजात शिशु का पंजीकरण एवं जन्म उपरान्त प्रथम टीका चक पूर्ण किया जाना यथा बी0सी0जी0, ओ0पी0वी0, डी0पी0टी0 एवं हैपेटाईटिस बी0	2000/–

प्रदेश में संचालित जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदान दी जा रही आर्थिक सहायता भी उक्त लाभार्थियों को देय होगी। इस प्रकार पी0एम0एम0वी0वाई योजना में पंजीकृत लाभार्थी प्रथम गर्भधारण/धात्री महिला को संस्थागत प्रसव पर प्रचलित योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ भी प्राप्त होते रहेंगे।

योजना के उद्देश्य

1. किसी भी महिला को अपने पहले गर्भावस्था एवं प्रसवोपरान्त पर्याप्त विश्राम दिये जाने हेतु मजदूरी हानि के लिए आंशिक मुआवजा प्रदान किया जाना।
2. नकद प्रोत्साहन राशि के माध्यम से गर्भवती महिला एवं धात्री माता के स्वास्थ्य व्यवहार में सकारात्मक सुधार लाना। यह धनराशि लाभार्थी महिला के आधार कार्ड से लिंक्ड बैंक/पोस्ट आफिस खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

योजना की विशिष्टताएं :–

1. गर्भवती महिला एवं धात्री माता को केवल प्रथम जीवित शिशु के लिए लाभ प्राप्त होगा।
2. केन्द्र/राज्य/पब्लिक सेक्टर इकाईयों में कार्यरत कर्मियों अथवा किसी भी अन्य समानांतर योजना में लाभ प्राप्त महिलाओं को छोड़कर प्रदेश की समस्त गर्भवती एवं धात्री महिलायें जिन्होंने जीवित शिशु को जन्म दिया हो, को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
3. समस्त गर्भवती/धात्री महिलायें जो 1 जनवरी 2017 अथवा उसके बाद गर्भवती हुई अथवा प्रथम शिशु को जन्म दिया हो, योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करा सकती है।
4. योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की इच्छुक महिलाओं द्वारा स्वयं को अपने निकटतम स्वास्थ्य इकाई पर पंजीकृत कराया जाना होगा। पंजीकरण प्रपत्र स्वास्थ्य इकाई/आशा/ए0एन0एम0 से निशुल्क प्राप्त किये जा सकेंगे। इन्हें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट http://wcd.nic.in तथा http://sifpsa.org से डाउनलोड भी किया जा सकता है। लाभार्थियों द्वारा अपने पंजीकरण प्रपत्र एवं क्लेम प्रपत्र निर्धारित अभिलेखों के साथ निकटतम चिकित्सकीय इकाई अथवा ए0एन0एम0/आशा को जमा किये जाने होंगे।
5. पात्र लाभार्थी की गर्भावस्था की तिथि और चरण की स्थिति हेतु मातृ एवं शिशु कार्ड (एम0सी0पी0 कार्ड) में उल्लिखित गर्भधारण तिथि (एल0एम0पी0) से गणना की जायेगी।
6. यदि किसी गर्भवती महिला को प्रसव के पूर्व किसी कारणवश गर्भपात हो जाता है तो उन्हें अवशेष किश्तें नही मिलेगी। भविष्य में पुनः गर्भवती होने पर अवशेष किश्तें, योजना की शर्तो के अनुसार प्राप्त होगी। यदि किसी लाभार्थी का गर्भपात/मृत शिशु का जन्म द्वितीय किश्त प्राप्त होने के बाद होता है तो भविष्य में पुनः गर्भवती होने पर केवल तृतीय किश्त का ही लाभ योजना की शर्तो के अनुसार प्राप्त होगा।

7. ऐसी महिला जो पहली बार गर्भधारण कर रही है और इस योजना में निर्धारित शर्तो के अनुसार तीनों किश्त प्राप्त कर लेती है और नवजात शिशु की मृत्यु (शिशु मृत्यु) हो जाती है तो भविष्य में ऐसी महिला को इस योजना का लाभ पुनः नही मिलेगा।
8. समस्त गर्भवती/धात्री–आशा/ऑगनवाडी कार्यकत्री/आंगनवाडी सहायिका को भी योजना के अनुसार लाभ देय होगा।

कियान्वयनः–

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी0एम0एम0वी0वाई) का कियान्वयन केन्द्रीयकृत वेब बेस्ड एम0आई0एस0 साफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से किया जायेगा। योजना के कियान्वयन में ऑगनवाडी/आशा और ए0एन0एम0 की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

पुरानी मैटरनिटी बैनिफिट कार्यक्रम–पायलेट परियोजनाः–

जनपद महोबा, सुलतानपुर एवं अमेठी (छत्रपति शाहूजी महाराज नगर) में चल रही मैटरनिटी बैनिफिट कार्यक्रम–पायलेट परियोजना के अंतर्गत जिन पात्र लाभार्थियों को प्रथम किश्त प्राप्त हो चुकी है, को उक्त योजना की तृतीय किश्त एवं जननी सुरक्षा योजना में निर्धारित शर्तें पूरा करने पर निर्धारित वित्तीय लाभ भी प्रदान किया जायेगा।

मैटरनिटी बैनिफिट कार्यक्रम–पायलेट परियोजना के जनपदों में 01 जनवरी 2017 के पूर्व एवं बाद में पंजीकृत पात्र लाभार्थियों को जिन्हें प्रथम किश्त प्राप्त नही हुई है, को भी इस योजना में पंजीकृत किया जायेगा।

पायलेट परियोजना के जनपदों में पुराने मैटरनिटी बैनिफिट कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी0एम0एम0वी0वाई) में पंजीकृत किये जाने हेतु निम्न शर्ते हैंः–

1. पुराने मैटरनिटी बेनिफिट कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को रू0 6000 का भुगतान दो बराबर किश्तों में प्रत्येक रू0 3000/– में दिया जायेगा। प्रथम किश्त के रूप में रू0 3000 का भुगतान गर्भधारण के छः माह बाद ए0एन0एम0 उपकेन्द्र पर पंजीकृत महिला को कम से कम दो बार प्रसव पूर्व जॉच कराने के बाद प्रदान किया जायेगा। द्वितीय किश्त का भुगतान प्रसव के उपरान्त नवजात शिशु के पंजीकरण एवं समस्त टीकाकरण को पूर्ण करने के उपरान्त योजना की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।
2. अतः यदि किसी महिला ने पुराने मैटरनिटी बेनिफिट योजना के अन्तर्गत प्रथम किश्त प्राप्त कर ली है, तो संस्थागत प्रसव कराने पर जननी सुरक्षा योजना एवं तृतीय किश्त के रूप धनराशि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी0एम0एम0वी0वाई) से प्राप्त करने हेतु अर्ह होगी।

योजना को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु राज्य, जनपद एवं ब्लाक स्तर पर सेल/कमेटी का गठन निम्नवत् किया जाता हैः–

राज्य स्तरीय पीएम0एम0वी0वाई0 सेल का गठन

राज्य स्तर पर पी0एम0एम0वी0वाई सेल का गठन निम्नवत् किया जाता हैः–

1. प्रमुख सचिव,, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अधिशासी निदेशक, सिफ्सा
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
4. अपर अधिशासी निदेशक, सिफ्सा।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं।
6. महानिदेशक, परिवार कल्याण।
7. राज्य नोडल अधिकारी, पी0एम0एम0वी0वाई/महाप्रबन्धक (प्रोजेक्ट), सिफ्सा (समन्वयक)।
8. महाप्रबन्धक, मानव संसाधन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
9. राज्य कार्यक्रम समन्वयक, पी0एम0एम0वी0वाई।

राज्य स्तरीय सेल का कार्य

1. राज्य में योजना को प्रारम्भ करने में सहयोग एवं निगरानी।
2. योजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु राज्य स्तर से जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देशों में सहयोग।
3. योजना के कियान्वयन में शामिल हितधारकों/सेवा प्रदाताओं को आवश्यकता आधारित संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन एवं समन्वय।
4. लाभार्थियों को समय से भुगतान का लाभ सुनिश्चित करना।
5. राज्य एवं जनपद स्तरीय पी0एम0एम0वी0वाई0 स्टीयरिंग एवं मॉनिटरिंग समिति को कियाशील करना एवं नियमित रूप से उनकी बैठक सुनिश्चित करना।
6. पर्याप्त स्वास्थ्य आपूर्ति, प्रसव पूर्ण देखभाल एवं टीकारण हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से समन्वय।
7. योजना की निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु तंत्र की स्थापना।
8. योजना के कियान्वयन की निगरानी हेतु क्षेत्र भ्रमण।
9. जिलों से प्राप्त रिपोर्ट का संकलन/समीक्षा करना और उसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध कराना।
10. जनपदीय सेल की बैठकों की मासिक समीक्षा सुनिश्चित करना।
11. योजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु बैंकों एवं डाकघरों से सम्पर्क करना।
12. उत्तम कार्यों का दस्तावेजीकरण करना।
13. लाभार्थी एवं उसके पति का नामांकन आधार नामांकन केन्द्रों पर कराने के लिए समन्वय स्थापित करना।

जनपद स्तरीय पीएम0एम0वी0वाई0 सेल का गठन

जनपद स्तर पर पी0एम0एम0वी0वाई सेल का गठन निम्नवत् होगाः–

1. मुख्य चिकित्साधिकारी
2. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (आर0सी0एच0) (नोडल अधिकारी)
3. समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारी (प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र)
4. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (ज़िला समन्वयक)
5. जिला लेखा प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
6. जिला कम्युनिटी प्रासेस मैनेजर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

जनपद स्तरीय सेल का कार्य

1. समस्त ब्लाकों एवं ग्रामों में पी0एम0एम0वी0वाई0 का संचालन।
2. राज्य स्तर से जारी दिशा–निर्देशों का कियान्वयन।
3. जनपद के समस्त हितधारकों/सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षण और रिफ्रेशर प्रशिक्षण का आयोजन।
4. जनपद स्तरीय पी0एम0एम0वी0वाई0 स्टीयरिंग और मॉनिटरिंग समिति को नियमित सहयोग।
5. समय से लाभार्थियों को प्रसव पूर्व जॉच एवं बच्चों को टीकाकरण हेतु चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से समन्वय।
6. परियोजना की रिपोर्ट का संकलन एवं जिले हेतु मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना।
7. योजना में कार्यों का ऑकलन करने के लिए गांवो का भ्रमण करना।
8. समय से लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अन्य विभागों, बैंकों एवं डाकघरों से सम्पर्क करना।
9. आवश्यकतानुसार, राज्य स्तरीय सेल से समन्वय स्थापित कर सूचना देना।
10. लाभार्थी एवं उसके पति का नामांकन आधार नामांकन केन्द्रों पर कराने के लिए समन्वय स्थापित करना।

योजना की निगरानी, अनुश्रवण, सम्बन्धित विभागों के बीच समन्वय, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं प्रगति की समीक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर समिति का गठन निम्नवत् किया गया है। यह कमेटी जनपदों में समय–समय पर आने वाली समस्याओं तथा उनके निराकरण हेतु सुझाव भी देगी।

जनपद स्तर पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल कियान्वयन की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी जो समस्त दिशा–निर्देशों का समयबद्ध तरीके से अनुपालन सुनिश्चित कराएगें। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (आर0सी0एच0) को इस कार्यक्रम हेतु ज़िला नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समन्यक के रूप मे कार्य करेंगे।

ब्लाक स्तरीय पीएम0एम0वी0वाई0 सेल का गठन

ब्लाक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर कार्यक्रम का प्रभावी पर्यवेक्षण, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा हेतु निम्नलिखित कमेटी का गठन भी किया जाना प्रस्तावित है:–

1. प्रभारी चिकित्साधिकारी
2. ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (समन्वयक)
3. ब्लाक लेखा प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
4. ब्लाक कम्युनिटी प्रासेस मैनेजर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
5. समस्त ए0एन0एम0
6. समस्त आशाएं

ब्लाक स्तरीय सेल का कार्य

1. लाभार्थियों के पंजीकरण में आने वाली समस्याओं का निराकरण।
2. आशा/ए0एन0एम0 द्वारा प्रपत्रों एवं रजिस्टर में की गयी प्रविष्टि का मूल्यांकन।
3. प्रचार सामग्री एवं लाभार्थियों द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्रों एवं अन्य दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. ब्लाक स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में कृत कार्यवाही से कमेटी को अवगत कराना।
5. साप्ताहिक बैठक का आयोजन।

राज्य स्तरीय पी0एम0एम0वी0वाई स्टीयरिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी

1	प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0 प्र0 शासन।	अध्यक्ष	समिति त्रैमासिक बैठक करेगी अथवा अध्यक्ष महोदय के विवेकानुसार इससे पहले यदि आवश्यक है।
2	प्रमुख सचिव, वित विभाग, उ0 प्र0 शासन।	सदस्य	
3	प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0 प्र0 शासन।	सदस्य	
4	प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0 प्र0 शासन।	सदस्य	
5	प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0 प्र0 शासन।	सदस्य	
6	प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, उ0 प्र0 शासन।	सदस्य	
7	अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन।	सदस्य	
8	अधिशासी निदेशक, सिफ्सा	सदस्य	
9	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	सदस्य	
10	अपर अधिशासी निदेशक, सिफ्सा	सदस्य	
11	उप महानिदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	सदस्य	
12	राज्य नोडल अधिकारी, पी0एम0एम0वी0वाई, सिफ्सा	सदस्य सचिव	
13	अन्य (अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य)		

राज्य स्तरीय कमेटी के दायित्व

1. योजना के कियान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण किया जाना।
2. व्यापक फील्ड आधारित समीक्षा का आयोजन।
3. योजना की उपलब्धि का गहन विश्लेषण और सम्बन्धित जिलों द्वारा लक्षित उपलब्धि स्तर प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।
4. सार्वजनिक जानकारी, सामाजिक लेखा परीक्षा, शिकायतों का निस्तारण और अन्य सार्वजनिक जवाबदेही तंत्र सुनिश्चित करना।
5. योजना के डेटा एंट्री स्तर पर अकाउंट में फण्ड की उपलब्धता, इंटरनेट कनेक्टिविटी और समुचित बुनियादी ढांचें की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
6. राज्य, जनपद एवं ब्लाक स्तर के अधिकारियों के दायित्वों का निर्धारणः
    1. योजना बनाना
    2. समुदाय जागरूकता एवं संग्रहण करना
    3. ग्राम स्तर पर क्षमता निर्माण विकसित करना
    4. निगरानी एवं फीडबैक लेना

स्टीयरिंग एवं मॉनिटरिंग समिति योजना की निगरानी एवं प्रगति की समीक्षा करेगी तथा सम्बन्धित विभागों के मध्य समन्वय एव अभिसरण को सुदृण करेगी। योजना के प्रभावी निगरानी हेतु प्रत्येक स्तर पर पी0एम0एम0वी0वाई0 सॉफटवेयर के डैशबोर्ड और रिपोर्ट पदानुक्रम पर उपलब्ध होगी। समिति के सदस्यों द्वारा कार्यक्रम की गहन निगरानी एवं विस्तृत विश्लेषण किया जायेगा। इसलिए, ये समिति कार्यक्रम के कियान्वयन में आने वाली कमियों पर विचार कर कियान्वयन मे सुधार के लिए उपयुक्त सलाह देगी।

जनपद स्तरीय पी0एम0एम0वी0वाई स्टीयरिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी

जनपद स्तर पर पी0एम0एम0वी0वाई स्टीरिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी का गठन निम्नवत् होगाः–

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष	समिति मासिक बैठक का आयोजन करेगी।
2	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य	
3	प्रधान अधीक्षक, मुख्य डाकघर	सदस्य	
4	लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (एल0डी0एम0)	सदस्य	
5	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (आर0सी0एच0)	सदस्य एवं नोडल अधिकारी	
6	जनपद के समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारी	सदस्य	
7	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	सदस्य सचिव एवं समन्वयक	
8	अन्य (अध्यक्ष महोदय द्वारा नामित सदस्य)		

जनपद स्तरीय कमेटी के दायित्व

1. योजना के कियान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण किया जाना।
2. शिकायतों का निस्तारण।

ब्लाक स्तरीय पी0एम0एम0वी0वाई स्टीयरिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी

ब्लाक स्तर पर पी0एम0एम0वी0वाई स्टीरिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी का गठन निम्नवत् होगाः–

1	उप जिलाधिकारी	अध्यक्ष	समिति पाक्षिक बैठक का आयोजन करेगी।
2	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य	
3	प्रभारी चिकित्साधिकारी	सदस्य सचिव	
4	स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/ सहायक शोध अधिकारी	सदस्य	
5	ब्लाक लेखा प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	सदस्य	
6	ब्लाक कम्युनिटी प्रासेस मैनेजर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	सदस्य	
7	प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा नामित 04 ए0एन0एम	सदस्य	
8	प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा नामित 02 आशा संगीनी	सदस्य	
9	अन्य (अध्यक्ष महोदय द्वारा नामित सदस्य)		

ब्लाक स्तरीय कमेटी के दायित्व

1. योजना के कियान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण किया जाना।
2. शिकायतों का निस्तारण।

ग्राम स्तर पर पी0एम0एम0वी0वाई स्टीयरिंग एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति अपनी बैठकों मे पी0एम0एम0वी0वाई0 समिति की भी निगरानी करेगी एवं साथ ही पी0एम0एम0वी0वाई0 की बैंक/डाकघरों के प्रभारी भी सदस्य के रूप में समीक्षा करेंगे।

ग्राम स्तरीय कमेटी के दायित्व

1. योजना के कियान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण किया जाना।
2. शिकायतों का निस्तारण।

राज्य स्तर पर इस योजना के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य नोडल अधिकारी के रूप में महाप्रबन्धक (प्रोजेक्ट), सिफ्सा को नामित किया गया है।

इस योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में विभिन्न चरणों में अपनायी जाने वाली प्रकिया, विभिन्न स्तर पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा विभिन्न स्तरों पर गठित होने वाली समितियों के दायित्वों के विषय में भारत सरकार द्वारा जारी की गयी विस्तृत गाइडलाइन्स समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। इन्हें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट http://wcd.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

कृपया उपरोक्तानुसार त्वरित कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही की पाक्षिक प्रगति आख्या से प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0 प्र0 शासन तथा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी, पी0एम0एम0वी0वाई को अवगत कराएं।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव

का./5.

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, सिफ्सा, उत्तर प्रदेश।
5. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
6. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. उप महानिदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
8. राज्य नोडल अधिकारी, पी0एम0एम0वी0वाई/महाप्रबन्धक (प्रोजक्ट), सिफ्सा।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल, चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

(प्रशान्त त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव